कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//ज्ञापन//

-2 APR 2025

क्रमांक–3213/दो–12–01/04 (फा.65) उज्जैन,दिनांक **01** अप्रैल, 2025

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण
उज्जैन/बड़नगर/महिदपुर/नागदा/खाचरौद/तराना

विषय – विचाराधीन सिविल प्रकरणों में जमा राशि के संबंध में।
संदर्भ – कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 1138 दिनांक 26.11.2024।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदेशानुसार लेख है कि आपके न्यायालयों में विचाराधीन सिविल प्रकरणों में राशि जमा किये जाने पर संबंधित पक्षकार/अधिवक्तागण को निर्देश देवें कि वे वांछित राशि ऑनलाईन जमा कराने के उपरांत उसी दिवस अथवा अगले दिवस जमा रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा न्यायालय के प्रस्तुतकार उक्त रसीद अभिप्रमाणित करते हुये सी.सी. डी. खातें के संधारण हेतु जिला नाजिर अथवा नायब नाजिर को तत्काल प्रेषित करें जिससे कि जिला कोषालय एवं नजारत अनुविभाग के सी.सी.डी. खातें का सही मिलान हो सके।

उक्त संबंध में पूर्व में भी संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है किन्तु उक्त परिपत्र का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संदर्भित परिपत्र की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार एवं परिपत्र में जारी निर्देशों का कढ़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

पृ. क्रमांक–............../दो–12–01/04 (फा.65) उज्जैन,दिनांक **01** अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, उज्जैन/बड़नगर/महिदपुर/नागदा/खाचरौद/तराना की ओर परिपत्र क्रमांक 1138 दिनांक 26 नवम्बर 2024 की छायाप्रति प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत् अधिवक्तागण को सूचित करे कि न्यायालय के आदेशानुसार जमा की गई राशि की रसीद उसी दिवस अथवा अगले दिवस संबंधित न्यायालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, जिससे कि उक्त जमा राशि का संधारण किया जा सके और अधिवक्ता/पक्षकार द्वारा जमा राशि के क्लेम हेतु उपस्थित होने पर उन्हें भुगतान प्रक्रिया में असुविधा का सामना न करना पड़े। (संलग्न – उपरोक्तानुसार)।

2. जिला नाजिर, उज्जैन/नायब नाजिर तहसील न्यायालय बड़नगर/ महिदपुर/ नागदा/खाचरौद/तराना को निर्देशित किया जाता है कि नजारत अनुविभाग से संबंधित सी.सी.डी. खातें में अन्य तहसील अनुभाग से संबंधित अथवा उनके बिना जानकारी की कोई राशि जमा होना पाई जाती है तो वे सर्वप्रथम उनकी स्थापना पर संचालित न्यायालयों से उक्त राशि जमा के संबंध में जानकारी आहूत करें। प्रकरण संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रविष्टियों का इन्द्राज नजारत अनुविभाग की पंजी में करना सुनिश्चित करें।

वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

दो-12-40/16(भा.2/2) CCD का नस्ती में

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

उज्जैन,दिनांक...26.नवम्बर, 2024

क्रमांक-...1138.../दो-12-40/16

न्यायिक जिला स्थापना, उज्जैन से संबंधित नजारत अनुविभागों से प्रायः इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है कि अभिभाषकगण/पक्षकारगण संबंधित न्यायालय में सी.सी.डी. की राशि जमा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है और संबंधित न्यायालय उनके आवेदन पत्र पर आदेश अंकित करते है कि नाजिर सी.सी.डी. में राशि जमा करें लेकिन अभिभाषकगण/ पक्षकारगण न्यायालय के आदेशानुसार सीधे सी.सी.डी. खातें में राशि जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति न तो संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करते है एवं न ही नजारत में प्रस्तुत करते है बल्कि वह जमा राशि की चालान प्रति अपने पास रख लेते है इसके कारण नाजिर उक्त राशि की यथा दिनांक को सी.सी.डी. पंजी में प्रविष्टि नहीं कर पाते है।

इस संबंध में इस न्यायिक जिला स्थापना एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जब भी उनके न्यायालय में अधिवक्तागण/पक्षकारगण सी.सी.डी. की राशि जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी को उक्त आवेदन पत्र पर "नाजिर राशि सी.सी.डी. खातें में जमा करें" संबंधी टीप अंकित न करते हुए भविष्य में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर यह टीप अंकित करें कि "अभिभाषक/पक्षकार सी.सी.डी. राशि ऑनलाईन जमा करें"। साथ ही अधिवक्तागण/पक्षकारगण को निर्देशित करें कि सी.सी.डी. खातें में राशि जमा करते समय उक्त ई-चालान में सही प्रकरण कमांक एवं जिस पक्षकार द्वारा राशि जमा की जाना है उसके नाम के साथ-साथ जमाकर्ता के पिता/पति के नाम का भी सुस्पष्ट उल्लेख ई-चालान प्रति में आवश्यक रूप से करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही राशि जमा करने के उपरांत तुरन्त उसी दिनांक को आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन चालान की दो प्रति आवश्यक रूप से संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार के पास जमा कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार अभिभाषकगण/पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन एवं ई-चालान की एक प्रति नजारत अनुविभाग में संधारित सी.सी.डी. पंजी में प्रविष्टि करने हेतु उसी दिनांक को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त अभिभाषकगण यह सुचित करना सुनिश्चित करें कि बिना न्यायालय के आदेश के किसी भी प्रकार में राशि सीधे ऑनलाईन जमा न करें और यदि उसके उपरांत भी अभिभाषकणग/पक्षकारगण राशि जमा करते है और उसका भुगतान नहीं हो पाता है तो उसके लिये अभिभाषकगण/पक्षकारगण ही जिम्मेदार होंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक-...12173.../दो-12-40/16

उज्जैन,दिनांक.........नवम्बर, 2024

26 NOV 2024

प्रतिलिपि –

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, जिला उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालय।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु पालनार्थ प्रेषित्।

2. अध्यक्षक, अभिभाषक संघ, उज्जैन/ बड़नगर/ खाचरौद/ नागदा/ तराना/महिदपुर।

   की ओर उक्त परिपत्र की प्रति प्रेषित कर, परिपत्र के माध्यम से जो निर्देश प्रसारित किये जा रहे है कि सूचना आपकी स्थापना पर कार्यरत् समस्त अभिभाषकगण को आवश्यक रूप से पालन करने हेतु दी जाना सुनिश्चित करें ताकि परिपत्र के माध्यम से दिये गये निर्देशों को पालन किया जा सके।

3. जिला नाजिर, उज्जैन/नायब नाजिर बड़नगर/ खाचरौद/ नागदा/तराना/महिदपुर।

   की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस परिपत्र की एक प्रति अभिभाषकगण/पक्षकारगण को जानकारी सलभ रूप से प्रदान करने हेत